राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2254/2012/चूरू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, रतनगढ़ वृत चूरू ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 पायोनियर सिक्यूरिटिज प्रा.लि.,
धटियाल बडी, चूरू। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे (**"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 101/आरवेट/चुरू /2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, रतनगढ़ वृत चूरू (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 26.02.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 55, 58 के तहत कायम की गई मांग राशि रिवर्स कर राशि रू 11,744/–, धारा 61(2)(बी) में शास्ति रू 23,488/– एवं धारा 58 में शास्ति राशि रू 1,460/– तथा धारा 55 में ब्याज राशि रू 4050 कुल मांग राशि रुपये 40,742/– को अधिनियम 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत विवादित करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुये धारा 61(2)(बी) के अर्न्तगत आरोपित राशि रू 23,488/– को अपास्त किया है तथा शेष आदेश यथावत रखा है जिसके विरूद्व विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी मार्बल ब्लॉक के निर्माण व विक्रय का व्यापार करता है जिसके लिये की गयी पूंजीगत माल की खरीद पर राशि रू 11,744/– का इनपुट क्रेडिट कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2009 द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया है कि मार्बल ब्लॉक उत्खनन कार्य निर्माण की श्रेणी में नहीं आता है। कर निर्धारण अधिकारी ने क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करते हुये रिवर्स कर राशि रू

लगातार.....2

11,744/–, धारा 61(2)(बी) में शास्ति रू 23,488/– एवं धारा 58 में शास्ति राशि रू 1,460/– तथा धारा 55 में ब्याज राशि रू 4,050 कुल मांग राशि रुपये 40,742/– सृजित की। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील आंशिक स्वीकार करते हुये धारा 61(2)(बी) के अर्न्तगत आरोपित राशि रू 23,488/– को अपास्त किया है तथा शेष आदेश यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी ने यह शास्ति इस आधार पर अपास्त की है कि व्यवसायी द्वारा क्रय अथवा विक्रय को छुपाया नहीं है तथा जानबूझ कर करापवंचन की भावना नहीं रही है व साथ ही माईनिंग मैन्यूफैक्चरिंग की श्रेणी में है या नही, यह विवादित विषय है तथा इस विवादित विषय पर व्यवसायी ने माईनिंग प्रक्रिया को निर्माण प्रक्रिया मानकर आगत कर का मुजरा लिया है तो यह सद्भाविक त्रुटि है जिस पर शास्ति आरोपित किया जाना उचित नही है। चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कर, ब्याज व धारा 58 की शास्ति यथावत रखी है तथा विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील धारा 61(2)(बी) के अर्न्तगत आरोपित राशि रू 23,488/– को अपास्त करने के विरूद्व प्रस्तुत की है जो सारहीन है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के अनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य